कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः ~~1477~~ 1471 /जी–66/2023–24/अधि0 दिनॉक, 07 जून ~~मार्च~~, 2024

–:विज्ञप्तिः–

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1047 /चि0–1 2009–90/2007 दिनांक 19 अगस्त 2009 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009 एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1125/XXXX–2010–90/2010 दिनांक 25 नवम्बर 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट)(संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक/यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) वेतन मैट्रिक्स 9300–34800 लेबल–6 में रिक्त 21 पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या–घट–बढ़ सकती है–

रिक्त पदों का विवरणः–

विज्ञापित पदों की संख्या एवं विवरण आयुर्वेदिक – 20 पद	क्षैतिज आरक्षण					ओपन कैटेगिरी
	महिला (30 प्रतिशत)	दिब्यांगजन	भूतपूर्व सैनिक	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	
		ओ0ए0,ओ0एल0 श्रेणी (04 प्रतिशत)	(05 प्रतिशत)	(02 प्रतिशत)	(05 प्रतिशत)	
अनु0जाति– 01 पद	–	–	–	–	–	1
अनु0 जनजाति– 0 पद	–	–	–	–	–	–
अन्य पिछड़ा वर्ग– 0	–	–	–	–	–	–
सामान्य–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 01 पद	–	–	–	–	–	1
सामान्य–18 पद	5	–	1	–	1	11
योग–20 पद	**5**	**–**	**1**	**–**	**1**	**13**
यूनानी – **01 पद** (अनुसूचित जाति)	–	–	–	–	–	**1**

(1) **आरक्षण**–उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2) **अर्हतायें :–**

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में (बाईलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में आवेदन की तिथि को पंजीकृत हो।

(अधिमानी अर्हताए)

16/3/024

Scanned with OKEN Scanner

(i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या
(ii) नेशनल कैडिट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या
(iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(3) उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(4) **आयु**:— विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(5) **शुल्क** :—आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/— का बैंक चालान लेखाशीर्षक 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800—अन्य प्राप्तियां, 10—अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) **चयन प्रक्रिया** :— शासन द्वारा निर्गत, "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या—1125/XXXX/2010—90/2010 दिनांक 25 नवम्बर 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा उतीर्ण करने के वर्षवार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(7) **आवेदन पत्र जमा करने की तिथि** :— निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र **"निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आई0 टी0 पार्क, देहरादून"** के कार्यालय में विज्ञप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(8) **अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण—पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करना भी अनिवार्य है—**

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई—स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
3. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
5. मूल—निवास/स्थाई निवास प्रमाण—पत्र।
6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
7. चरित्र प्रमाण—पत्र—2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
8. निर्धारित शुल्क बैंक चालान मूल रूप में।
9. स्वयं का पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों।
10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, यदि कोई हो।

16/03/24

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner